संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक अ.प्रशा./सेल–6/एफ–192/2011/94 भोपाल, दिनांक 27/01/2011

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः–निजी चिकित्सालय में कार्यरत् अस्पताल कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्।

–––00–––

राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम में कार्यरत् कर्मचारियों का न तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और न ही चिकित्सालयीन संक्रमणों से उनकी सुरक्षा/संक्रमण होने पर उक्त चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के निःशुल्क उपचार की कोई व्यवस्था उपलब्ध है।

इस संदर्भ में 2 कानूनी व्यवस्थाएं उपलब्ध है :–

(1) मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम–1997 के नियम–17 की अनुसूची–दो–उपचर्यागृह से अपेक्षाएं :–

''खण्ड (ङ) : कर्मचारीवृन्द के स्वास्थ्य, वस्त्र और स्वच्छता की अपेक्षाएं .–

(एक) नियोजित कर्मचारीवृन्द सांसर्गित रोगों से मुक्त होंगे और उनके कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरूप उनकी स्वच्छ पोशाक की व्यवस्था की जाएगी.

(दो) नियोजन के समय कर्मकारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात् इसी प्रकार नियतकालिक परीक्षण किया जाएगा.

(2) बायोमेडिकल वेस्ट (हैण्डिलिंग एण्ड मैनेजमेन्ट) नियम–1998 के नियम–3 में निम्न व्यवस्था रखी गई है :–

3. Duty of Occupier

It shall be duty of every occupier of an instituion generating bio-medical includes a hospital nursing home, clinic, dispensary, veterinary institutions, a house, pathological laboratory, blood bank by whatever name called to take ensure that such waste is handled without any adverse effect to human health and environment.

उक्त दोनों व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि बायोमेडिकल वेस्ट हैण्डिलिंग तथा डिस्पोज़ल में कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा तथा चिकित्सालयों में कार्यरत् कर्मचारियों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाकर यदि उनको कोई रोग है तो उपयुक्त उपचार यदि जाकर रोग मुक्त रखा जाएगा।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी रक्त एवं रक्त/मवाद् दूषित कचरे/पट्टियों, निडिल सिरिज़ आदि हैण्डिल कर रहे तथा इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश है।

उपरोक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम–1973 के अन्तर्गत ''पर्यवेक्षीय अधिकारी'' के अधिकारो का उपयोग करते हुये आपके अधिकार क्षेत्र के नर्सिंग होम तथा निजी चिकित्सालय के प्रबंधन द्वारा उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे :–

1. निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयो में कार्यरत् सभी नर्सिंग, पैरामेडिकल, अन्य सहायक तथा साफ–सफाई अमले का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

2. निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयो में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो सांसर्गित एवं अन्य रोगों से ग्रसित हो, चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा उनको निःशुल्क चिकित्सा/उपचार उपलब्ध किया जाए।

3. बायोमेडिकल वेस्ट, रक्त एवं रक्त/मवाद् दूषित कचरे/पट्टियों, निडिल सिरिज़ आदि हैण्डिल कर रहे तथा इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उनको ''सुरक्षात्मक सामग्री'' यथा एप्रन, ग्लब्स आदि उपलब्ध करे।

4. रक्त एवं रक्त/मवाद् दूषित कचरे/पट्टियों, निडिल सिरिज़ आदि हैण्डिल कर रहे तथा इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हिपेटाइटिस बी तथा टिट्नस के टीके नियमित लगाये जाए।

5. चिकित्सालयीन कचरे/बायोमेडिकल वेस्ट/रक्त एवं रक्त/मवाद् दूषित कचरे/पट्टियों, निडिल सिरिज़ आदि हैण्डिल कर रहे तथा इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारियों को कचरे को हैण्डिल करने से लग सकने वाले संक्रमणों से जागरूक कराने हेतु समय–समय पर उनके प्रशिक्षण आयोजित किये जाए।

6. पूर्णतः सावधानी बरतने के बावजूद चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य सहायक अमले को नीडिल, नुकीले तथा धार दार औजारो से चोटिल होने की संभावना होती है। अतः एच.आई.व्ही./एड्स के संदर्भ में ऐसी घटना होने पर उनको 'Post Exposure Prophylaxis (PEP)' उपचार सुनिश्चित किया जाए। यह सुविधा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यशील ए.आर.टी. तथा लिंक्ड–ए.आर.टी. सेन्टर में उपलब्ध है।

उपरोक्त निर्देशों का आपके क्षेत्राधिकार में समस्त नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालयों में कड़ाई पूर्वक पालन सुनिश्चित करें तथा समय–समय पर निरीक्षण में उक्त व्यवस्थाओं की जानकारी ले साथ ही उपरोक्त प्रावधान का स्थानीय समाचार पत्रों में समस्त संबंधितों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार करे।

हस्ताक्षर/–
(जे.एन. कंसोटिया)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक अ.प्रशा. / सेल–6 / एफ–192 / 2011 / 95 भोपाल, दिनांक 27 / 01 / 2011

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सुश्री शकुनतला डी. गैम्लीन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108
2. निज सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार हेतु।
5. परियोजना संचालक, राज्य
6. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (एम.आर.) स्थानीय कार्यालय की ओर उनके पत्र क्रमांक 4 / एम.आर. / सेल–2 / 10 / 4096 दिनांक 10.12.2010 के संदर्भ में।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. श्री थामस, कम्प्यूटर कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर–इसको विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करें।
10. आदेश फाइल।

हस्ताक्षर / –
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश